भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1891
30 जुलाई, 2026 को उत्तर देने के लिए

कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर योजना के अंतर्गत आवंटित निधि

†1891. श्री बृजमोहन अग्रवाल:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) की कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) पीएमकेएसवाई की कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 तक आवंटित/संवितरित कुल निधि का ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशील पट्टेदार इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल की संपरीक्षा से पता चलता है कि परियोजना निष्पादन एजेंसियां (पीइए) मुख्य रूप से अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रमुख प्रसंस्करण अवसंरचना (सीपीआई) को पूरा करती हैं, लेकिन पट्टे पर ली गई पाँच सूक्ष्म इकाइयों को अनिवार्य रूप से शामिल नहीं कर पाती हैं जिसके परिणामस्वरूप क्षमता अप्रयुक्त रह जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) छत्तीसगढ़ में कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टरों और रायपुर मेगा फूड पार्क की पट्टेदार अधिभोग दरों का ब्यौरा क्या है और आकांक्षी जिलों से जनजातीय किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और पीएमएफएमई-वित्तपोषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के सफल एकीकरण का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) स्थानीय सूक्ष्म-उद्यमों को अत्यधिक शुल्क के कारण बाहर होने से रोकने के लिए परियोजना निष्पादन एजेंसियों पर अंकुश लगाने हेतु पट्टेदार-संबद्ध अंतिम अनुदान संवितरण या विनियमित सीपीआई उपयोगकर्ता प्रशुल्क जैसे प्रस्तावित सुधारात्मक नीतिगत उपाय क्या हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) वर्ष 2017 से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की एक घटक योजना के रूप में कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना सृजन योजना (एपीसी) को कार्यान्वित कर रहा है। एपीसी योजना का उद्देश्य क्लस्टर दृष्टिकोण पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक अवसंरचना का सृजन करना, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना, कृषि उत्पादों में मूल्य वर्धन करना, किसानों की आय बढ़ाना और रोजगार सृजन करना है। इस योजना के अंतर्गत, सामान्य क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से और सिक्किम, हिमालयी राज्यों, अधिसूचित आईटीडीपी क्षेत्रों और द्वीपों सहित पूर्वोत्तर राज्यों में 50%

की दर से अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो अधिकतम ₹10 करोड़ तक सीमित है। यह योजना बुनियादी सक्षम अवसंरचना और मुख्य प्रसंस्करण अवसंरचना के निर्माण में सहायता करती है।

(ख) एपीसी योजना मांग संचालित है और संभावित निवेशकों/उद्यमियों से समय-समय पर मंत्रालय द्वारा जारी अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जो निधियों की उपलब्धता के अधीन हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 तक, एपीसी योजना के अंतर्गत ₹450.30 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिसमें से ₹340.86 करोड़ का वितरण किया जा चुका है। अभी तक, इस योजना के अंतर्गत 73 एपीसी परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें से 13 परियोजनाएं 68 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के साथ पूरी हो चुकी हैं।

(ग) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत एपीसी योजना का एक तृतीय-पक्ष प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा किया गया। अध्ययन में कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं मिला है जो यह दर्शाता हो कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियाँ (पीईए) मुख्य प्रसंस्करण अवसंरचना को मुख्यतः अनुदान प्राप्त करने के लिए ही पूरा करती हैं, जबकि अनिवार्य खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को शामिल करने में विफल रहती हैं।

(घ) और (ङ) छत्तीसगढ़ राज्य में, एपीसी योजना के अंतर्गत, बेमेतरा जिले में एक परियोजना, अर्थात् एम/एस के के एग्रो ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, को मंजूरी दी गई है। अब तक, उक्त क्लस्टर में कोई खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित नहीं की गई है।

एपीसी योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक अवसंरचना सृजन और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को सुगम बनाने के लिए सामान्य सुविधाएं प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेज को मजबूत करके किसानों और खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को लाभान्वित करना है। योजना के अंतर्गत, अनुदान/सब्सिडी चरणों में जारी की जाती है, और अंतिम किस्त केवल तब जारी की जाती है जब पीईए निर्धारित संख्या में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के व्यावसायिक संचालन का प्रमाण प्रस्तुत करती है।

मेगा फूड पार्क (एमएफपी) योजना के अंतर्गत, मंत्रालय ने 25 राज्यों में 41 एमएफपी को मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ राज्य में मंजूर एक एमएफपी परियोजना प्रचालनरत है। छत्तीसगढ़ में एमएफपी में कुल 31.6 एकड़ पट्टे पर देने योग्य क्षेत्र में से, 24.1 एकड़ खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को पट्टे पर दिया गया है।

दिनांक 27.07.2026 तक छत्तीसगढ़ राज्य में एमएफपी और एपीसी योजनाओं के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

इसके अलावा, पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत, 112 आकांक्षी जिलों में 28,200 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण अनुमोदित किए गए हैं। जिला-वार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

अनुबंध-I

लोकसभा में दिनांक30जुलाई, 2026 को उत्तर हेतु "कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर योजना के अंतर्गत आवंटित निधि" के संबंध में अतारांकित प्रश्न संख्या 1891 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

छत्तीसगढ़ राज्य में एपीसी और एमएफपी योजनाओं के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	**परियोजना निष्पादन एजेंसी (पीईए) का नाम**	**जिला**	**राज्य**	**अनुमोदन की तिथि**	**परियोजना लागत (करोड़ में)**	**अनुमोदित अनुदान (करोड़ में)**	**जारी कुल अनुदान (करोड़ में)**
एपीसी योजना							
1	एम/एस के के एग्रो ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	बेमेतरा	छत्तीसगढ़	28.02.2024	68.87	10.00	0.00
एमएफपी योजन							
1	एम/एस इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड	रायपुर	छत्तीसगढ़	04.06.2014	96.58	43.96	39.57

अनुबंध-II

लोकसभा में दिनांक30जुलाई, 2026 को उत्तर हेतु "कृषिप्रसंस्करण क्लस्टर योजना के अंतर्गत आवंटित निधि" के संबंध में अतारांकित प्रश्न संख्या 1891 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

छत्तीसगढ़ राज्य में पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत 112 आकांक्षी जिलों में 28,200 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण स्वीकृत किए गए हैं। जिला-वार विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	राज्य	जिला	स्वीकृत ऋण
1	आंध्र प्रदेश	विज़ियानगरम	557
2	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	184
3	आंध्र प्रदेश	वाई.एस.आर. कडपा	143
4	अरुणाचल प्रदेश	नामसाई	8
5	असम	गोलपाडा	123
6	असम	बारपेटा	228
7	असम	हेलाकंडी	204
8	असम	बक्सा	121
9	असम	दर्रांग	108
10	असम	उदलगुड़ी	56
11	असम	धुबरी	139
12	बिहार	सीतामढ़ी	1022
13	बिहार	अररिया	539
14	बिहार	पूर्णिया	817
15	बिहार	कटिहार	753
16	बिहार	मुज़फ्फरपुर	1564
17	बिहार	बेगुसराय	1030
18	बिहार	खगड़िया	527
19	बिहार	बांका	599
20	बिहार	शेखपुरा	290
21	बिहार	औरंगाबाद	657
22	बिहार	गया	1278
23	बिहार	नवादा	650
24	बिहार	जमुई	420
25	छत्तीसगढ़	कोरबा	76
26	छत्तीसगढ़	राजनांदगांव	77
27	छत्तीसगढ़	महासमुंद	17
28	छत्तीसगढ़	कंकेर	73
29	छत्तीसगढ़	नारायणपुर	1
30	छत्तीसगढ़	दंतेवाड़ा	11
31	छत्तीसगढ़	बीजापुर	32
32	छत्तीसगढ़	बस्तर	59
33	छत्तीसगढ़	कोंडागांव	30
34	छत्तीसगढ़	सुकमा	7
35	गुजरात	दाहोद	14
36	गुजरात	नर्मदा	7

37	हरियाणा	मेवात	34
38	हिमाचल प्रदेश	चंबा	2
39	जम्मू और कश्मीर	कुपवाड़ा	53
40	जम्मू और कश्मीर	बारामूला	90
41	झारखंड	गढ़वा	144
42	झारखंड	चतरा	195
43	झारखंड	गिरिडीह	287
44	झारखंड	गोड्डा	452
45	झारखंड	साहेबगंज	259
46	झारखंड	पाकुड़	78
47	झारखंड	बोकारो	227
48	झारखंड	लोहरदगा	175
49	झारखंड	पूर्वी सिंहभूम	358
50	झारखंड	पलामू	150
51	झारखंड	लातेहार	204
52	झारखंड	हज़ारीबाग	299
53	झारखंड	रामगढ़	118
54	झारखंड	दुमका	339
55	झारखंड	रांची	402
56	झारखंड	खूंटी	86
57	झारखंड	गुमला	243
58	झारखंड	सिमडेगा	214
59	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूम	144
60	कर्नाटक	रायचूर	210
61	कर्नाटक	यादगीर	150
62	केरल	वायनाड	330
63	मध्य प्रदेश	छतरपुर	179
64	मध्य प्रदेश	दमोह	471
65	मध्य प्रदेश	बड़वानी	523
66	मध्य प्रदेश	राजगढ़	310
67	मध्य प्रदेश	विदिशा	276
68	मध्य प्रदेश	गुना	270
69	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	201
70	मध्य प्रदेश	खंडवा (पूर्व निमाड़)	482
71	महाराष्ट्र	नंदुरबार	661
72	महाराष्ट्र	वाशिम	716
73	महाराष्ट्र	गड़चिरोली	433
74	महाराष्ट्र	धारशिव	538
75	मणिपुर	चंदेल	0
76	मेघालय	रिभोई	0
77	मिजोरम	मामित	0
78	नागालैंड	किपहायर	12

79	ओडिशा	ढेंकनाल	147
80	ओडिशा	गजपति	73
81	ओडिशा	कंधमल	20
82	ओडिशा	बलांगीर	99
83	ओडिशा	कालाहांडी	43
84	ओडिशा	रायगड़ा	76
85	ओडिशा	कोरापुट	110
86	ओडिशा	मलकानगिरी	36
87	ओडिशा	नबरंगपुर	26
88	ओडिशा	नुआपाड़ा	19
89	पंजाब	मोगा	225
90	पंजाब	फिरोजपुर	88
91	राजस्थान	धौलपुर	7
92	राजस्थान	करौली	13
93	राजस्थान	जैसलमेर	5
94	राजस्थान	सिरोही	13
95	राजस्थान	बाराँ	27
96	सिक्किम	ग्यालशिंग	5
97	तमिल नाडु	विरुधुनगर	539
98	तमिल नाडु	रामनाथपुरम	512
99	तेलंगाना	कुमुराम भीम आसिफाबाद	144
100	तेलंगाना	जयशंकर भूपलापल्ली	65
101	तेलंगाना	भद्रद्रि कोथागुडेम	222
102	त्रिपुरा	धलाई	11
103	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट	141
104	उत्तर प्रदेश	फ़तेहपुर	862
105	उत्तर प्रदेश	बहराइच	308
106	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती	91
107	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर	13
108	उत्तर प्रदेश	सिधार्थ नगर	603
109	उत्तर प्रदेश	चंदौली	416
110	उत्तर प्रदेश	सोनभाद्र	347
111	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर	98
112	उत्तराखंड	हरिद्वार	60
	कुल		**28200**